कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 7242/2020 नीरू शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 5975/2020 रवीन्द्र सिंह देवल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 5755/2020 राहुल कुशवाह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 8815/2020 अमित यादव बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।
एसबी सिविल याचिका संख्या 7850/2020 उमेश चन्द्र सोनी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य।

उक्त याचिकाओ मे प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, जयपुर द्वारा निम्नांकित याचिकार्थियों के अभ्यावेदन स्वीकार निस्तारण हेतु विभाग को भिजवाए गए है –

क्र.सं.	मैरिट नं.	रोल नं.	नाम	गृह नगर/चाहा गया जिला	पदस्थापित स्थान/जिला
01	7943	1957800	नीरू शर्मा	जयपुर	बूंदी
02	3118	1862622	रवीन्द्र सिंह देवल	जयपुर	बूंदी
03	3080	2025832	राहुल कुशवाह	करौली	धौलपुर
04	6301	1115424	अमित यादव	जयपुर, अलवर	बारां
05	3117	2198778	उमेश चन्द सोनी	भरतपुर	धौलपुर

उक्त याचिकाएं लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 से संबंधित है। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2020 के द्वारा याचिकार्थियो को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के उपनियम 24(iv) के तहत गृह जिला आवंटन हेतु प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

राजस्थान अधिनस्थ सेवा अधिकारी मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 28(4) एवं इसके उप नियम मे अभ्यर्थी द्वारा चाहे गए प्राथमिकता अनुसार व उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान मे रखकर ही यथा संभव पदस्थापन किये जाने के निर्देश है जो कि पूर्णतः बाध्यकारी नहीं है एवं किसी लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन कि मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकतानुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेक व विभाग की आवश्यकताओं के अधीन है।

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु–3/2020पार्ट, जयपुर, दिनांक 18.05.2020 की पालना एवं विभागीय निर्देश–क्रमांक प. 17(3) शिक्षा–2/2013 जयपुर, दिनांक 29.05.2020 के अनुसार ही काउन्सलिंग प्रक्रिया के द्वारा वांछित जिलों के प्राथमिकता क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियो मे याचिकार्थियों को जिलो का आवंटन किया गया था जो कि पूर्णतः सही व नियामनुसार है। कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका हैं, याचिकार्थियो द्वारा चाहे गए जिले यथा जयपुर, करौली, अलवर एवं भरतपुर मे कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवानियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अतः कार्मिक का पूर्व में ही काउन्सलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किये जाने के कारण एतदनुसार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनो को अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/याचिका सं.7956/चन्द्रशेखर व अन्य 59/2020/48 दिनांक – 12/01/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग(अनुभाग–3), जयपुर।
2. ऐनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जय/निर्णय/29864/जी/20 दिनांक 27.11.2020 के क्रम में।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिका से संबंधित कार्मिक को अभ्यावेदन के निर्णय से अवगत करावे।
3. संबंधित कार्मिक
4. रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर